

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 29.05.2023

शांतिभंग की आशंका के मददेनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मददेनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-23 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. थाना को0 देहात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मन्ना पत्नी आनन्द सोनकर नि0 ग्राम काजी तरहर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध शराब बरामद कर मु0अ0सं0-248/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राहुल गोस्वामी पुत्र भवानी प्रसाद नि0 सुखराज सिंह टेपरा मौजा पहाडापुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध शराब बरामद कर मु0अ0सं0-273/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रतन निषाद पुत्र सुरेश निषाद नि0 ग्राम मल्लाहनपुरवा मौजा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध शराब बरामद कर मु0अ0सं0-248/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

04. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. भोला पथरकट पुत्र किशोरी नि0 सेझिया थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध शराब बरामद कर मु0अ0सं0-198/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.05.2023

लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त— जितेन्द्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना परसपुर क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के परिजनों द्वारा थाना परसपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. जितेन्द्र कुमार पुत्र सोमनाथ नि० ग्राम गेंधरिया थाना विश्वेश्वरगंज जनपद बहराइच।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं० 230/2023 धारा 363,366 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० चन्द्रसेन वर्मा मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.05.2023

जबरन वसूली करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर जबरन वसूली करने के वांछित अभियुक्त सहजराम को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी तेजकुमार पुत्र स्व० मंगल प्रसाद नि० भंगहा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को झूठे बलात्कार के मुकदमें में फंसाने की धमकी देते हुए 20,000/- रूपयों की मांग की थी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. सहजराम पुत्र रामदयाल नि० तेलनियन पुरवा मौजा लक्ष्मणपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—280/22, धारा 419,388,506 भादवि थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० भोलाशंकर मय टीम।